'निर्धारित समय में काम न होने पर 30 दिन के अंदर अथॉरिटी को कर सकते हैं शिकायत : मीनाक्षी'

चंडीगढ़, 27 जुलाई (बंसल): हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया है कि जनसाधारण को सरकारी महकमों द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी समय पर सुनिश्चित करवाने के मकसद से सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इसे सही ढंग से लागू करवाने के लिए आयोग बनाया गया है। अधिनियम के तहत सरकार की 551 सेवाएं और योजनाएं कानून के दायरे में आ चुकी हैं।

मीनाक्षी ने बताया कि निर्धारित समयावधि में सेवा नहीं मिलने पर 30 दिन के अंदर फर्स्ट रिड्रेसल अथॉरिटी को शिकायत की जा सकती है। अथॉरिटी से कार्य का निष्पादन नहीं होता तो 60 दिन के अंदर सैकेंड ग्रीवैंस रिड्रेसल अथॉरिटी को शिकायत दे सकते हैं। शिकायत जायज पाए जाने पर अथॉरिटी द्वारा नामित

'कानून के दायरे में आई सरकार की 551 सेवाएं और योजनाएं'

अधिकारी को 7 दिन में समस्या का समाधान करना होगा। सचिव ने बताया कि सेवा या कार्य में अनियमितता पर ग्रीवैंस रिड्रैसल अथॉरिटी द्वारा नामित अधिकारी पर 250 से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, अधिकारी की गलती पर आवेदनकर्ता को एक हजार का मुआवजे का भी प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम में दोनों ग्रीवैंस रिड्रेसल अथॉरिटी द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो 'राइट टू सर्विस कमीशन' को शिकायत कर सकते हैं। इस दौरान किसी कारण से आवेदन रद्द हो जाता तो कारण सहित जानकारी देना आवश्यक है।